मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 22 मई, 2017 को प्रात: 11.00 बजे विज्ञान भवन एनेक्सी, सभा कक्ष-ए, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, **डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी** की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 22 मई, 2017 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।

समिति के सदस्य-सचिव संयुक्त सचिव (के.वि.वि.एवं भाषाएं) **डॉ. सुखबीर सिंह संधु** ने माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए सचिव, उच्चतर शिक्षा से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध किया।

सचिव, उच्चतर शिक्षा, **श्री केवल कुमार शर्मा** ने माननीय अध्यक्ष महोदय तथा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उल्लेख किया कि मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार किए जाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने समिति के सभी सदस्य कार्यालयों से भी आग्रह किया कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गनिर्देशन में आयोजित इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अमल करते हुए सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा अपने संवैधानिक दायित्व का निवर्हन करें। उन्होंने बैठक के पश्चात् राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किए जाने वाले सभी कार्यालयों को शुभकामनाएं व्यक्त कीं। तत्पश्चात् उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे अपने संबोधन से समिति का मार्गदर्शन करें।

समिति के **अध्यक्ष, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री** जी ने अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित सभी संसद सदस्यों तथा अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को हिंदी को बल देने का एक अनुकूल अवसर बताया और कहा कि वे स्वयं हिंदी के बड़े पक्षधर हैं, स्वयं संसदीय राजभाषा समिति से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की योजनाओं के तहत बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा स्थापित कई संस्थान जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा तथा इसका दिल्ली केंद्र और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय इस विषय में काफी पहल कर रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों से भी इस विषय पर बल देने के लिए कहा गया है। मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईम योजना) के तहत भी आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में पहल की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि दक्षिण के राज्यों में हिंदी के अध्यापक उत्तर के राज्यों से दुगुना अर्जन करते हैं। इसलिए हमें खुद को अंग्रेजी की मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए।

तत्पश्चात् समिति के **सदस्य-सचिव एवं संयुक्त सचिव (के.वि.वि.एवं भाषाएं) ने अध्यक्ष महोदय** का धन्यवाद करते हुए निदेशक (राजभाषा) से बैठक की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कहा।

निदेशक (राजभाषा) **श्रीमती सुनीति शर्मा** ने अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगणों, सचिव, उच्चतर शिक्षा, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, का स्वागत करते हुए बैठक की कार्रवाई आरंभ की।

मद संख्या-1 निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि हिंदी सलाहकार समिति की 14 अक्तूबर, 2015 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त 30 नवम्बर, 2015 को परिचालित किया गया था। किसी सदस्य से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

समिति के माननीय सदस्य **श्री हुक्मदेव नारायण यादव**, संसद सदस्य ने उल्लेख किया कि हरियाणा जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग नहीं है। जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग नहीं हैं उनमें हिंदी विभाग खोले जाएं। **कार्यसूची की मद संख्या 4 पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि--**

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाने हैं। राजभाषा नियम के अनुसार 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों में क्रमशः 100%, 100% तथा 65% पत्राचार हिंदी में होना अनिवार्य है। रबड़ की मोहर, नामपट्ट, साइनबोर्ड द्विभाषी होने चाहिए। कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में होनी चाहिए। लेकिन, कई कार्यालयों द्वारा इस अपेक्षा का पालन नहीं किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के परिचय पत्र, रबड़ की मोहरें, नामपटट्, प्रोस्पेक्टस आदि द्विभाषी बनाए जाएं।

उन्होंने हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में दो बैठकें किए जाने की भी बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तकनीकी शब्दावलियों का अनुवाद हिंदी के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में त्रि-भाषी (हिंदी-अंग्रेजी-प्रादेशिक भाषा) रूप में किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, प्रो. अवनीश कुमार ने उल्लेख किया कि आयोग संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी बाईस भाषाओं में मानक शब्दावली का निर्माण करता है तकनीकी शब्दावलियों का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया गया है। कुछ शब्दावलियां बहुभाषी (मल्टी-लिंगुअल) भी हैं, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का विवरण दिया गया है। इन शब्दावलियों को ई-शब्दावली के रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक शब्दावलियों का एक मोबाइल 'एप्प' (App) (CSTT-Glossary) भी तैयार कराया गया है, जिसको 'गूगल प्ले स्टोर' से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

माननीय संसद सदस्य, **श्री विवेक गुप्ता** ने सुझाव दिया कि आईसीएससी बोर्ड में हिंदी को अनिवार्य किया जाए।

सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता ने कहा कि इस बारे में किसी को निर्देशित किया जाना अथवा अनिवार्य किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।

माननीय संसद सदस्य ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का कोलकाता में कैम्पस बनाए जाने की बात भी की।

कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, प्रो. गिरीश्वर मिश्र ने इस संबंध में सूचित किया कि विश्वविद्यालय के कैम्पस कोलकाता तथा इलाहाबाद में पहले से चल रहे है।

समिति के सदस्य **श्री हरवीर सिंह शास्त्री** ने सुझाव दिया कि - भारत के जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा अनिवार्य विषय नहीं हैं, वहां हाई स्कूल तक इसे अनिवार्य किया जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर बी.ए. और एम. ए. की कक्षाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी विषय में 33% प्रतिशत अंक रखे जाएं।

समिति के सदस्य **डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह** ने सुझाव दिया कि इन शब्दावलियों में भारतीय भाषाओं के शब्द भी लिए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के देश भर में 9 केंद्र चल रहे हैं। विश्वविद्यालय का दर्जा न होने के कारण संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने में असमर्थ है। अत: इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

समिति के सदस्य **डॉ. रवीन्द्र नागर** ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा भाषा के सरलीकरण पर हुए कार्य को और सहज बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर करने की बात भी कही।

समिति के सदस्य अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि **प्रो. चंद्रदेव कवड़े** ने हिंदी शिक्षा समिति के संबंध में गठित 'कपिल कपूर समिति' के बारे में जानकारी चाहते हुए कहा कि मंत्रालय की ओर से हिंदी शिक्षा समिति का गठन किया जाए।

समिति के **सदस्य-सचिव एवं संयुक्त सचिव (के.वि.वि. एवं भाषाएं)** ने समिति को सूचित किया कि इस संबंध में गठित कपिल कपूर समिति ने सभी तथ्यों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जिन पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

समिति के सदस्य **डॉ. महेश चंद्र गुप्त** ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा वर्ष 2010 से 2015 के बीच प्रकाशित 9 पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्मिकों की पदोन्नति के अवसर देने के लिए संवर्ग बनाया जाए। (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 'हिंदी कक्ष' की स्थापना हेतु निर्णय लिया जाए। (iii) दसवीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एडवाज़री जारी कर सकता है।

माननीय **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि यह नीतिगत विषय है इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

समिति के सदस्य **श्री बिपिन बिहारी**, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट को नियमानुसार पूर्णत: द्विभाषी बनाने की बात की तथा कहा कि मंत्रालय में अधिकारियों के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए स्थितियों में अपेक्षित सुधार लाया जाए।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, प्रो. चंद्र भूषण शर्मा ने बताया कि उनके संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसमें हिंदी के अलावा भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, बॉयोलाजी की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराई गई हैं।

मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना के तहत एक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में **श्री अनिल स्वरूप,** सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समिति को सूचित किया कि यह योजना केवल हिंदी के लिए नहीं है। यह मदरसों के लिए एक सामान्य योजना है। इस योजना के तहत हिंदी में पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। चूंकि यह कार्यक्रम एनआईओएस के माध्यम से होता है इसलिए मध्य प्रदेश में मदरसों में शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराई जाती है। अन्य राज्यों के साथ हमारे प्रयास जारी हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयों को निर्देश दिए कि -

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी कागजात अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम के अनुसार पत्राचार हिंदी में किया जाए। रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड द्विभाषी बनाए जाएं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में की जाए।
- वेबसाइट द्विभाषी रूप में बनाई जाएं।
- हिंदी से संबंधित सभी प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि में पूरे किए जाएं।
- हिंदी सलाहकार समिति की बैठक नियमित अंतराल पर की जाए।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तकनीकी शब्दावलियों का अनुवाद हिंदी के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में त्रि-भाषी (हिंदी-अंग्रेजी-प्रादेशिक भाषा) रूप में किया जाए और उन्हें सरल और सहज बनाया जाए।
- सभी विश्वविद्यालयों तथा उनके अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के परिचय-पत्र, प्रोस्पेक्टस आदि द्विभाषी बनाए जाएं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 'हिंदी कक्ष' की स्थापना की जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्मिकों की पदोन्नति के लिए संवर्ग बनाया जाए।

(कार्रवाई: मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबंधित कार्यालय)

बैठक के अंत में मंत्रालय के अंतर्गत 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों (सूची **अनुबंध-ख** पर) को राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शील्ड प्रदान करके पुरस्कृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

****

अनुबंध-क

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 22 मई, 2017 को समिति कक्ष 'ए' विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची ।

	डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री	अध्यक्ष

1.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव संसद सदस्य (लोक सभा) एवं सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
2.	श्री विवेक गुप्ता, सदस्य संसद सदस्य (राज्य सभा) एवं सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
3.	डॉ. रवीन्द्र नागर, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
4.	डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
5.	श्रीमती ज़रीना बानो, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री हरवीर सिंह शास्त्री, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
7.	प्रो. चंद्रदेव कवड़े, प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ	सदस्य
8.	डॉ. महेश चंद्र गुप्त, प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद	सदस्य
9.	श्री केवल कुमार शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
10.	श्री अनिल स्वरूप, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
11.	श्री सुखबीर सिंह संधु, संयुक्त सचिव, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं भाषाएं), उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य- सचिव
12.	श्री अजय तिर्की, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	(विशेष रूप से उपस्थित)
13.	डॉ. बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
14.	श्रीमती सुनीति शर्मा, निदेशक (राजभाषा), उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
15.	श्री गिरीश्वर मिश्र, कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	सदस्य
16.	श्री राकेश चतुर्वेदी, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य

17.	प्रो. चन्द्र भूषण शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान	सदस्य
18.	श्री विश्वजीत कुमार सिंह, आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति	सदस्य
19.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त, प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
20.	श्री प्रकाश कुमार ठाकुर, वित्तीय सलाहकार, प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
21.	श्री नन्द किशोर पाण्डेय, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान	सदस्य
22.	प्रो. हृसीकेष सेनापति, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	सदस्य
23.	श्री मनप्रीत सिंह मन्ना, निदेशक, प्रतिनिधि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	सदस्य
24.	प्रो. अवनीश कुमार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	सदस्य
25.	डॉ. रमण प्र. सिंह, निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	सदस्य
26.	डॉ. रवि प्रकाश टेकचन्दानी, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	सदस्य
27.	प्रो. डी.जी. राव, निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान	सदस्य
28.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता, उप-निदेशक, प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बाल भवन	सदस्य

अनुबंध-ख

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 22 मई, 2017 को आयोजित बैठक में राजभाषा शील्ड विजेता कार्यालयों से उपस्थित अधिकारियों की सूची।

क्रंसं.	कार्यालय का नाम	अधिकारियों के नाम
1	केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली	श्री संजय कुमार, **संयुक्त सचिव, मा.सं. वि. मंत्रालय** एवं निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन
		श्री आलम सिंह रावत, शिक्षा अधिकारी
2	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली	श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, अध्यक्ष
		श्री अजय मिश्रा, उप सचिव (प्रशा. एवं विधि)
		श्री धर्म सिंह सहायक निदेशक (भाषा)
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रो. रविन्द्र कुमार, कुलपति
		श्री शिवनंदन कुमार शर्मा, कुलसचिव प्रशासन
4	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्ने	प्रो. सुधींद्र नाथ पंडा, निदेशक
		श्री जे. रमेश कुमार, हिंदी टंकक
5	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	सुश्री सीमा शर्मा प्रो. एवं एसो. हैड (हिंदी सैल)
		डॉ. संदीप चटर्जी, कुलपति
6	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली	श्री हिसीकेष सेनापति, निदेशक
		डॉ. संध्या सिंह, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग
		श्रीमती मीनू सलूजा हिंदी अधिकारी
7	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	प्रो. मानवेंद्र भूयाँ, सम कुलपति
		श्री कुल प्रसाद उपाध्याय, हिंदी अधिकारी

8	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रो. जितेन्द्र खुराना, सम कुलपति एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
		श्री आनंद कुमार सोनी, सहायक कुलसचिव (रा.भा.)
9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	प्रो. बी. के. मिश्रा, डीन संकाय
		प्रो. नागेन्द्र कुमार, अध्यक्ष (रा.भा. प्रकोष्ठ)
		प्रो. पराग चतुर्वेदी, (रा.भा. अधिकारी)
10	विश्वेश्वरैयया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	डॉ. पी.एम. पड़ोले, कार्यकारी, अध्यक्ष
		श्रीमती भारती पोलके, कार्यकारी हिंदी कनि. अनुवादक
11	केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त
		श्री राजसिंह यादव, सहायक निदेशक (रा.भा.)
12	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	श्री एस. एन. राव, प्रमुख - मानव संसाधन
		डॉ. मुकेश शर्मा, हिंदी अधिकारी
13	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (नीटी), मुंबई	श्री डी.के. तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी
		मो. आफताब आलम, राजभाषा अधिकारी
14	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र) तारामणी, चैन्ने	श्रीमती एस. वसुमती, प्रशासन एवं लेखा ऑफिसर
		श्री एस. माधू, उच्च श्रेणी लिपिक
15	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	श्री डी. के. तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी
16	भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर	सुश्री नीता जॉन, हिंदी अधिकारी
		श्रीमती सुनीता मिश्रा, वरिष्ठ सहायक
17	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोषिक्कोड	डॉ. मुकुल भूषण सिंह, सहायक-सह-हिंदी अनुवादक